रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 92] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 1983/फाल्गुन 5, 1904

No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 1983/PHALGUNA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(उद्योग विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 24 फरवरी, 1983

का॰आ॰ 143 (अ)/18कक/उ॰वि॰वि॰अ॰/83— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं॰ का॰आ॰ 112(अ)/आई॰डी॰आर ए॰ /79, तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) अधीन छ महीने की अवधि के लिये अर्थात 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं॰ 476(अ)/18कक/उ॰वि॰वि॰अ॰/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं॰ का॰ आ॰ 637(अ)/18कक/उ॰वि॰वि॰अ॰/80, तारीख 23 अगस्त, 1980, सं॰ का॰आ॰ 126(अ)/18-ककउ॰वि॰वि॰अ॰/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं॰ का॰आ॰ 98(अ)/18कक/उ॰वि॰वि॰अ॰/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, तथा सं॰का॰आ॰ 611(अ)/18कक/उ॰वि॰वि॰अ॰/82, तारीख 23 अगस्त 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 फरवरी, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी, और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को छ महीनों की और अवधि के लिए एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के अधीन बने रहना चाहिए।

अत अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि उक्त आदेश छ महीनों की और अवधि के लिए अर्थात तारीख 25 अगस्त, 1983 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) प्रभावी बना रहेगा।

[फा॰सं॰ 5(14)/78-सी॰यू॰एम॰]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 24th February, 1983

S.O. 143(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79, dated the 26th February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial undertaking known as Messrs, Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said Industrial undertaking ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)/18AA/IDRA/79, dated the 22nd August, 1979, S.O. No. 637(E)/18AA/IDRA/80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 126(E)/18AA/IDRA/81 dated the 23rd February, 1981, No. S.O. 98(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th February, 1982 and No. S.O. 611(E)/18AA/IDRA/82, dated the 23rd August, 1982, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th February, 1983 ,

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six *months upto and inclusive of the 25th August, 1983.*

[F. No. 5(14)/78-CUS]

का०आ० 144(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर ए०/83:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124(अ)/18एफ०बी०आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं०का०आ० 130(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 9 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं सपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों जिनका मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि० कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों का प्रवर्तन 25 अगस्त, 1979 तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमे यह दिन भी शामिल है) कि अवधि के लिए निलम्बित रहेगा

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का०आ० 477 (अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं०का०आ० 638(अ)/18एफ बी०/आई०डी०आर० ए०/80, तारीख 22 अगस्त, 1980, सं०का०आ० 127(अ)/18एफ० बी०/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, स०का०आ० 99 (अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982 तथा सं० का०आ० 612(अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 23 अगस्त, 1982 द्वारा उक्त आदेशों की अवधि 25 फरवरी, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई है थी ;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि छ: महीने के लिए अर्थात 25 अगस्त, 1983 (जिसमे यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 अगस्त, 1983 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है।

[फा०सं० 5(14)/78-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 144(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)/18FB/IDRA/79, dated the 5th March, 1979 and No. S.O. 130(E)/18FB/IDRA/79, dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government in exericse of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of said Orders, to which the industrial undertaking known as *Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta,* was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979 ;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)/18FB/IDRA/79, dated 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)/18FB/IDRA/80, dated 23rd August, 1980, No. S.O. 127(E)/18FB/IDRA/81, dated the 23rd February, 1981, S.O. 99(E)/18FB/IDRA/82, dated the 25th February, 1982 and No. S.O. 612(E)/18FB/IDRA/82, dated the 23rd August, 1982, the duration of the said Orders was extended for a further period upto and inclusive of the 25th February, 1983 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of six months upto and inclusive of the 25th August, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders upto and inclusive of the 25th August, 1983 ;

[F. No. 5(14)/78-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983